an>

Title: Need to probe the issue of alleged overpayment to a company entrusted with the task of construction of four-lane road from Baghpat to Saharanpur in Uttar Pradesh.

श्री राघव लखनपाल (सहारनपुर) ः मैं सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश में कागजों पर फोरलेन का निर्माण होने के संदर्भ में आकृष्ट करना चाहता हूँ। वर्ष 2011 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश ने दिल्ली, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर होते हुए यमुनोत्री को जाने वाले मार्ग के 206 कि.मी.लम्बे भाग का फोरलेन मार्ग के रूप में निर्माण कराने का निर्णय लिया। जिसके अंतर्गत दिनाँक 01 अगस्त, 2011 को उत्तर प्रदेश हाइवे अथॉरिटी ने 1735 करोड़ रूपए की लागत से निर्माण कराने हेतु एक कंपनी के साथ अनुबंध किया, जिनकी समय-सीमा 900 दिन निर्धारित की गई।

इस मार्ग के निर्माण हेतु उक्त अनुबंधित कंपनी ने 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण स्वीकृत कराया। जबकि दिनांक 01 अप्रैल, 2012 को कंपनी ने कार्य प्रारंभ कर नवम्बर, 2013 में कार्य बंद कर दिया और कुल कार्य का केवल 13.33 प्रतिशत कार्य कंपनी ने सम्पन्न कराया। कंपनी ने निर्माण कार्य बंद करने का कारण मार्ग पर आने वाले हरे पेड़ों के कटाव हेतु पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति न मिलने को बताते हुए उपशा (उ.प्र. स्टेट अथॉरिटी) से कार्य की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। इस पर उपशा ने 721 दिनों की समय-सीमा और बढ़ा दी।

यहीं से उक्त अनुबंधित कंपनी और उपशा के अधिकारियों व उन 14 बैंकों के अधिकारियों की कथित मिलीभगत का खेल शुरु हुआ। जिसके अंतर्गत कंपनी ने बैंकों से अपने कराए गए कार्यों के सापेक्ष 603 करोड़ रु. का भुगतान प्राप्त कर लिया। जबकि उक्त कंपनी ने कुल निर्माण कार्य का 13.33 प्रतिशत कार्य ही किया था, जिसकी लागत 148 करोड़ रूपए थी। यानि कंपनी ने अपने किए गए कार्य के मूल्य से 455 करोड़ का अधिक भुगतान प्राप्त कर लिया, जिसके बाद कंपनी ने निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाले अपने उपकरण आदि धीरे-धीरे उक्त निर्माण साइट से हटाने शुरु कर दिए और एक दिन अपना बोरिया-बिस्तर पूर्ण रूप से समेट कर चम्पत हो गई, लेकिन राज्य सरकार या उपशा से अधिकारी चुपचाप इस मामले को देखते रहे।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त मामले की जाँच कराई जाए।